न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–टि.ए. 47/2017
पंजीयन दिनांक 11.12.2017

भोली बाई पुत्री परथा पत्नी खुमा जाति गाडरी निवासी सेठवाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

(1). भग्गा पिता परथा जाति गाडरी निवासी रावतपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
(2). रामा पिता परथा जाति गाडरी निवासी रावतपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
(3). नारायणी बाई बेवा रूपा जाति गाडरी निवासी रावतपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
(4). मोहनी पुत्री रूपा पत्नी हमेरा जाति गाडरी निवासी सेठवाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
(5). भगु बाई पुत्री रूपा पत्नी नारायण जाति गाडरी निवासी रावतपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
(6). भैरूलाल पिता केला जाति गाडरी निवासी रावतपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
(7). वरदीबाई बेवा केला जाति गाडरी निवासी रावतपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
(8). भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला
प्रकरण संख्या 32/2016 प्रार्थना-पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.08.2016

उपस्थित वक्त बहस–(1).छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलांट
(2).मदन त्रिपाठी –अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 से 6
(3).रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 7– अनुपस्थित
(4).पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 8

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 12.10.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मूलवाद मे प्रतिवादी संख्या 4 मोहनी के अलावा अन्य किसी भी रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की तामील नहीं हुई। भग्गा का सम्मन बगदीराम को दिया गया जो कि उससे अलग रहता है तथा आपस मे बोलचाल नहीं है । इसी तरह मोहनी उसके ससुराल मे रहती है। रेस्पोडेन्ट भगु बाई भी उसके ससुराल मे रहती है। तथा दोनो अलग-अलग तहसील की है। प्रतिवादी संख्या 3 नारायणी बाई विधवा व वृद्ध है। उसको कोई सम्मन देने कोई नहीं आया। उसे कोर्ट से सम्मन आने की कोई सूचना किसी ने नहीं दी वो उसका रिश्तेदार बीमार होने से गांव डाबियों का खेड़ा गई हुई थी। जिससे दावे की कोई जानकारी भी उसे नहीं थी। प्रतिवादी संख्या 4 मोहनी को पेशी के एक दिन पहले ही सम्मन की जानकारी हुई। तथा उसका पति बाहर गया हुआ था। वो घूंघट मे रहने वाली अनपढ़ महिला है। उसे सम्मन के साथ दावे की नकल भी नही मिली। उसको कोई समझाने वाला भी नही मिला। वह कोर्ट मे आई तो कोई पेशियां नहीं हो रही थी। उसे किसी ने यह नही बताया कि लोक अदालत कैम्प मे जाना है। इस कारण गुमराह हुई तथा वो बहिन भगु को भी कोई सूचना नहीं दे सकी। जिससे प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 27.06.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 2 रामा अपने अधिवक्ता के जरिये उपस्थित हुआ था। प्रतिवादी संख्या 1 को सम्मन की जानकारी नहीं होने से लोक अदालत में नहीं आया। उसने उक्त मामले मे कोई उपस्थिति नहीं दी। तथा कोई वकील नहीं किया। न ही कोई राजीनामा प्रस्तुत किया इसके बावजूद निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2016 मे उसकी उपस्थिति बताई गई। रामा की तामील अपीलांट वादी से कराई गई। तथा अपीलांट वादिया से हित बंध होकर खुद को भग्गा बताकर उसकी जगह पेश हुआ। उसने छल करके अदालत मे खुद को भग्गा की जगह प्रतिरूपित करके अदालत की सम्पूर्ण कार्यवाही को दूषित किया है। वादग्रस्त कृषि आराजीयात पैतृक होकर दादा परदादा के समय से चली आ रही है जो हिन्दु संयुक्त परिवार की थी जो देवा से परथा के खाते आई तथा अपीलांट वादिया के पिता परथा ने अपने जीवनकाल मे ही मुखिया की हैसियत से हिन्दु संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के तीन बराबर भाग कर परिवार के पुरूष सहदायिक सदस्यों अर्थात भग्गा, रामा, रूपा के बीच बंटवाड़ा कर दिया था तथा मौके पर तीन बराबर-बराबर भाग किये जाकर तीनों अलग-अलग काबिज हो गए। रूपा की मृत्यु हो जाने से उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 3 से 5 प्रार्थीगण संख्या 2 से 4 काबिज है। अपीलार्थिया वादिया का कब्जा नहीं है। परथा की मृत्यु 23 साल पहले हो गई थी। चूंकि उस समय मौरूसी जायदाद मे पुत्रियों को हिस्सा दिए जाने का कोई कानून नहीं था। उत्तरजिविता के आधार पर सम्पत्ति न्यागत होती है। परथा के नाम 1/4 भाग मे प्रतिवादी भग्गा, रामा व उसके मृत भाई रूपा का बराबर-बराबर हक बनता है। अपीलार्थीया वादिया को कोई ऐतराज था तो उसे 25

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पहले जब परथा ने अपने पुत्रों के बीच मौखिक बंटवाड़ा किया तभी करना था लेकिन तब उसने कोई उज्र नहीं किया, जबकि उस वक्त वह सहमत थी। अब भाईयों के बीच विवाद हुआ तो प्रतिवादी रामा ने वादिया को भड़काकर यह दावा करवा दिया है। चूंकि रामा अपनी बहिन का हक खुद हड़पने की मंशा रखता है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लोक अदालत के तहत पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2016 को निरस्त किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 से 5 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 10.08.2022 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र बिना सम्मन नोटिस जारी किये अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थिया वादिया को सुने प्रतिवादीगण संख्या 1 , 3 से 5 को सुना जाकर दिनांक 10.08.2016 को ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 92/2016 में लोक अदालत के तहत पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2016 को एकपक्षीय सुना जाकर निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 10.08.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थिया वादिया ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की है।

अपीलार्थिया वादिया की ओर से इस न्यायालय मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी मे पारित निर्णय व आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस मूलवाद के प्रकरण की पत्रावली मंगवाया जाना उचित प्रतीत होने से मूलवाद की पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थिया अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट वादिया ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात मौजा रावतपुरा तहसील डूंगला मे

स्थित है जो अपीलार्थीया के पिता परथा की थी परथा की मृत्यु के पश्चात विरासतीय नामान्तरण से प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 से 5 के पिता रूपा के नाम दर्ज कर दी। जबकि विवादित कृषि आराजीयात पैतृक कृषि आराजीयात होकर अपीलांट वादिया स्वर्गीय परथा की जायन्दा पुत्री होने से अपीलार्थिया वादिया का 1/4 हक व हिस्सा निहित है। उसी अनुसार अपीलार्थिया वादिया विवादित कृषि आराजीयात की घोषणा कराने की अधिकारी होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए लोक अदालत कैम्प रावतपुरा मे दिनांक 27.06.2016 के नोटिस जारी किये गए। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस प्रोपर तामील होकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्राप्त हुए। नियत तारीख पेशी पर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण उपस्थित नहीं हुए जिससे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई व शेष प्रतिवादीगण उपस्थित हुए व अपीलार्थिया वादिया के वादपत्र को डिक्री किये जाने की सहमति व्यक्त की जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट वादिया का उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे 1/4 हक व हिस्सा घोषित किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की ।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2016 जो लोक अदालत के तहत पारित की गई। यदि कोई पक्ष उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट था तो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2016 के विरूद्ध सक्षम अपीलीय न्यायालय मे अपील करने के लिए स्वतंत्र था। फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 से 5 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी म्याद बाहर प्रस्तुत किया। जिसको अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के दिनांक 10.08.2016 को ही बिना अपीलांट वादिया को सूचना दिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 27.06.2016 को निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नहीं था। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 10.08.2016 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 से 6 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 से 6 रेस्पोडेन्टगण की विचारण न्यायालय मे किसी प्रकार की तामील नहीं होते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर लोक अदालत के तहत निर्णय व

की पारित की, जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दोतरफा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वीकार किया जाकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को दोतरफा किये जाने का निर्णय व आदेश दिनांक 10.08.2016 को पारित किया है। अधिवक्ता अपीलांट वादिया ने यह आपत्ति प्रस्तुत की है कि उसको नोटिस जारी किये बगैर बिना सूचना पत्र के एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को बहुपक्षीय किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। न्यायालय यदि यह मानती है कि अपीलार्थिया वादिया को दोतरफा किये जाने से पूर्व सुना जाना न्यायोचित था तो प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा की पत्रावली व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व प्रार्थना पत्र की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पत्रावली विचाराधीन रहते हुए लोक अदालत मे नियत की गई । उक्त पत्रावली लोक अदालत मे नियत की गई पत्रावली मे पक्षकारान की तामील हुई थी वादिया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता व स्वयं अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित हुए व वादिया को परथा की पुत्री होना स्वीकार किया। विवादित कृषि आराजीयात को भी पेतृक होना माना जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से अपीलांट वादिया का वादपत्र 1/4 हक व हिस्से से निर्णय व डिक्री किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 से 5 रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 10.08.2016 को आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र को बिना नोटिस जारी किये प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण को सुना जाकर दिनांक 10.08.2016 को ही स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। अपीलार्थिया वादिया को बिना नोटिस जारी किये व बिना सुने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2016 को रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 से 5 के आवेदन से निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं था। यदि कोई पक्षकार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट था तो वह सक्षम न्यायालय मे अपील करने के लिए स्वतंत्र था। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता का अवहरण कर दिनांक 10.08.2016 को निर्णय व आदेश पारित किया है जो न्यायोचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

का होने से अपीलार्थिया वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थिया वादिया स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला प्रकरण संख्या 32/2016 प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.08.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलार्थिया वादिया को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर व पत्रावली मे प्रस्तुत तामील का गहनता से अवलोकन कर विधि सम्मत नवनिर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 17.11.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)